संख्या-34/2023 /1851/58-2023/1736803-2023

प्रेषक,

बाल कृष्ण त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2023**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना में भारत सरकार से अवमुक्त केन्द्रांश रू0-302.40 लाख के सापेक्ष 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि रू0-201.60 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू0-504.00 लाख को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-48/बजट/2023-24, दिनांक 04.08.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र संख्या-F.N.18-4/2017-MIDH(E) दिनांक 25.07.2023 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-02/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक: 17.03.2023 में निहित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रथम किस्त के रूप में एस.सी.एस.पी. श्रेणी हेतु अनुदान सं0-***83*** के अन्तर्गत केन्द्रांश मद में रू0-302.40 लाख तथा राज्यांश मद में रू0-201.60 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0-504.00 लाख को निम्नलिखित विवरण के अनुसार उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष प्रदान करती हैं :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
3. भारत सरकार के पत्र दिनांक 25.07.2023 एवं अन्य सुसंगत दिशा निर्देशों का अनुपालन निदेशक, उद्यान/वित्त नियंत्रक निदेशालय, उद्यान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. प्रस्ताव में आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व वित्त नियंत्रक, उद्यान का होगा।

5. इस योजना में स्वीकृत धनराशि का अन्य संचालित योजनाओं के मदों में व्यय हेतु जारी स्वीकृतियों से द्विवरावृत्ति न हो।
6. वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।
7. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
8. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17.03.2023 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
10. योजना से आच्छादित पात्र लाभार्थियों का चयन कर उनकी सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया गया है।
11. योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में निर्गत की गयी धनराशि के सापेक्ष कृत कार्यों का भौतिक सत्यापन कराते हुए गुणवत्ता की जांच योजना की गाइड लाइन्स के अनुसार सुनिश्चित कर ली गयी है।
12. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग का उत्तरदायित्व रहेगा।
13. निदेशक, उद्यान विभाग सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें।
14. विभागाध्यक्षों/वित्त नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
15. कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
16. उक्त धनराशि का भुगतान व उपयोग प्राथमिकता के आधार पर पोस्ट हार्वेस्ट के कार्यों में किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2401007890108 (राष्ट्रीय बागवानी मिशन (के.60/रा.40-के.))

https://shasanadesh.up.gov.in

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	083	2401007890108 राष्ट्रीय बागवानी मिशन (के.60/रा.40-के.)	27 सब्सिडी	2,75,40,000 (रुपये दो करोड़ पचहत्तर लाख चालीस हजार मात्र)
2	083	2401007890108 राष्ट्रीय बागवानी मिशन (के.60/रा.40-के.)	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	27,00,000 (रुपये सत्ताईस लाख मात्र)
	कुल			**3,02,40,000 (रुपये तीन करोड़ दो लाख चालीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2401007898908 (राष्ट्रीय बागवानी मिशन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	083	2401007898908 राष्ट्रीय बागवानी मिशन	27 सब्सिडी	1,83,60,000 (रुपये एक करोड़ तिरासी लाख साठ हजार मात्र)
2	083	2401007898908 राष्ट्रीय बागवानी मिशन	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	18,00,000 (रुपये अठारह लाख मात्र)
	कुल			**2,01,60,000 (रुपये दो करोड़ एक लाख साठ हजार मात्र)**
महायोग				5,04,00,000 (रुपये पांच करोड़ चार लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या- **E1-145-X2023-24- दिनांक: 24-8-2023** में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(बाल कृष्ण त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या- 34 /2023/1851/58-2023/1736803-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, प्रयागराज ।

(3) संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।

(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(5) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।

(6) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

(8) वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार)
उप सचिव।

https://shasanadesh.up.gov